राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित उल्लेखनीय कार्यों का विवरण

राजभाषा नीति कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि :

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था।

राजभाषा के स्वरूप को व्याख्यायित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राजभाषा नीति निरूपित की गई, जिसके अंतर्गत संवैधानिक (Constitutional) एवं सांविधिक (statatory) प्रावधान किए गए। सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा संकल्प, 1968; राजभाषा नियम, 1976; संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य राजभाषा नीति के अभिन्न अंग हैं। इन प्रावधानों का कार्यान्वयन और अनुपालन न होने की दशा में इसे राजभाषा नीति का उल्लंघन माना जाता है।

इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न समितियाँ गठित हैं, जैसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति तथा केंद्रीय हिंदी समिति।

भूमिका

1. राजभाषा संबंधी संवैधानिक एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों सहित निगम में हिंदीमय वातावरण का निर्माण करना।
2. निगम में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में निगम के अधिकारियों की सहायता एवं उनका मार्गदर्शन करना।
3. हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए :-
   - राजभाषा नीति के बारे में जानकारी देकर, विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के माध्यम से कार्मिकों में जागरूकता एवं संवेदना का निर्माण करना।
   - हिंदी भाषा, टाइपिंग, आशुलिपि तथा आईटी टूल्स के प्रयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निगम के सभी स्तर के कार्मिकों में क्षमता निर्माण/वृद्धि करना।
   - निगम की सभी यूनिटों के कार्मिकों से निजी संपर्क स्थापित कर उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
   - भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/संस्थाओं/संगठनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।

मुख्य दायित्व

- अनुसरण, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के माध्यम से निगम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना और कार्मिकों के लिए बेहतर प्रोत्साहन योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना ;
- निजी संपर्क कार्यक्रमों तथा निरीक्षणों के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में सांविधिक तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना ;
- निगम के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें संबंधित सरकारी आदेशों से परिचय कराना, इसका प्रचार-प्रसार करना और उनकी सहायता करना ;
- हिंदी के प्रति जागरूकता एवं रूचि उत्पन्न करने के लिए हिंदी दिवस तथा हिंदी माह या पखवाड़े, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ;
- निगम के कार्मिकों द्वारा धारित हिंदी के ज्ञान संबंधी रोस्टर तैयार करना और तदनुसार हिंदी सीखने, हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना ;
- विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा अपेक्षित हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टें, छमाही रिपोर्टें एवं वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;
- निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा अन्य समितियों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

पुरस्कार एवं सम्मान

पीएफसी को 'क' क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा नीति कार्यान्वयन हेतु प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान :

- वर्ष 2017-18 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार ,
- वर्ष 2016-17 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार,
- वर्ष 2015-16 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार,
- वर्ष 2014-15 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार,
- वर्ष 2013-14 के लिए 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार

ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के कर-कमलों द्वारा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किए गए ।

- वर्ष 2014-15 के लिए पीएफसी को विद्युत मंत्रालय की 'राजभाषा शील्ड' (तृतीय पुरस्कार) प्रदान की गई ।

- वर्ष 2017-18 के लिए पीएफसी को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 'नराकास राजभाषा शील्ड' प्रदान की गई ।

प्रोत्साहन योजनाएँ

- **निगम में 07 प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं :-**
  - हिंदी में कार्य के प्रतिशत के आधार पर पुरस्कार योजना
  - विशिष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना
  - हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए नोडल अधिकारियों के लिए विशेष पुरस्कार योजना
  - हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर पुरस्कार योजना
  - राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाग को शील्ड योजना
  - राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ यूनिट को शील्ड
  - कार्मिकों के बच्चों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना

  इन योजनाओं में पुरस्कार की अधिकतम राशि 7500/-रु. और न्यूनतम राशि 1500/-रु. है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन एवं समुचित अनुपालन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। निदेशक (वाणिज्यिक) समिति के उपाध्यक्ष हैं । निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त) तथा सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं । समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं, जिनमें मुख्यतः राजभाषा नीति कार्यान्वयन संबंधी स्थिति की समीक्षा तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

विभागीय हिंदी बैठकें

यूनिटों द्वारा अपने-अपने विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें संबद्ध यूनिटों में हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया जाता है । इन बैठकों के आयोजन से यूनिटों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि हुई है।

निजी संपर्क एवं निरीक्षण कार्यक्रम

राजभाषा यूनिट के अधिकारी निगम की यूनिटों में जाकर उनके विभागाध्यक्षों तथा यूनिट के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलते हैं और उनकी यूनिट के कार्य की प्रकृति, हिंदी में किए जा रहे कार्यों, उनकी समस्याओं और समाधान पर विचार-विमर्श किया जाता है । साथ ही, उनकी यूनिट में किन अन्य क्षेत्रों में हिंदी में काम किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है ।

कार्यशालाएं एवं राजभाषा सम्मेलन

निगम के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें संबंधित सरकारी आदेशों और उनके दायित्वों से परिचित कराया जाता है, इसका प्रचार-प्रसार किया जाता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर हिंदी में काम करने में उनकी सहायता की जाती है । इन कार्यशालाओं में समय-समय पर कार्यपालक निदेशक स्तर तक के वरिठ अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें यूनिकोड तथा वॉइस टू टाइप प्रशिक्षण भी शामिल है ।

गोष्ठियाँ/संगोष्ठियाँ/वार्ताएं/नुक्कड़ नाटक/प्रतियोगिताएं

समय-समय पर विभिन्न विषयों पर गोष्ठियाँ/संगोष्ठियाँ/वार्ताएं/नुक्कड़ नाटक/प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं । इसमें राजभाषा से इतर विषयों को भी शामिल किया जाता है, जो हिंदी आई टी टूल्स, वित्त, परियोजना, प्रबंधन, सतर्कता, स्वच्छता अभियान, योग आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं ।

सहायक सामग्री

- ✓ सभी फाइलों के आंतरिक कवर पर हिंदी में मानक संक्षिप्त टिप्पणियाँ छपवाई गईं। पत्रावलियों पर टिप्पणियाँ, फाइलों पर नोटिंग, मंजूरी आदेश, अनेक विवरणियाँ, रिपोर्टें, आईओएम, नोटिस, कवरिंग पत्र, अनुस्मारण, पावतियाँ, आरटीआई के उत्तर जैसे अनेक कार्य कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए जा रहे हैं ।

- ✓ निगम में प्रयुक्त होने वाले दावा फॉर्म द्विभाषी रूप में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं । कार्मिकों की सुविधा के लिए निगम में प्रयुक्त होने वाले A to Z शब्दों की विभागवार शब्दावली, छोटे-छोटे वाक्यों की A to Z सूची और विभिन्न यूनिटों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे मानक प्रपत्र, संस्वीकृति पत्र, करार ज्ञापन (Memorandum of Agreement) जैसे दस्तावेज भी हिंदी में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं ।

- ✓ पीएफसी में प्रयुक्त होने वाली छोटी-छोटी टिप्पणियों का एक संकलन तैयार कर उसकी बुकलेट सभी कार्मिकों को वितरित भी की गई हे ।

- ✓ समय-समय पर कार्मिकों को शब्दावलियाँ एवं शब्दकोष भी वितरित किए जाते हैं ।

द्विभाषीकरण

- ✓ निगम एवं विद्युत मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन हर वर्ष द्विभाषी रूप में हस्ताक्षरित किया जाता है । इस पर सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हस्ताक्षर करते हैं ।
- ✓ निगम की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश हिंदी में भी वितरित किया जाता है ।
- ✓ निगम की वार्षिक रिपोर्ट हर वर्ष द्विभाषी रुप में प्रकाशित की जाती है ।
- ✓ निगम में प्रयुक्त होने वाले दावा फॉर्म द्विभाषी रुप में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं ।

ऊर्जा दीप्ति

- ✓ निगम द्वारा वर्ष 1993 से एक त्रैमासिक गृह-पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है, जिसे समय-समय पर हिंदी अकादमी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विद्युत मंत्रालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी रूपांबरा द्वारा अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं । समय-समय पर इस पत्रिका के संस्कृति विशेषांक, पावस विशेषांक, राजभाषा विशेषांक, वसंत विशेषांक 'गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर स्मृति विशेषांक', 'स्वाधीनता सेनानी विशेषांक' 'योग विशेषांक' भी प्रकाशित किए जाते हैं । पत्रिका प्रकाशन के 15 वर्ष पूर्ण होने पर 'ऊर्जा दीप्ति' में प्रकाशित कार्मिकों की कहानियों एवं कविताओं का संकलन 'संचयिका' भी प्रकाशित की गई । पत्रिका के प्रत्येक अंक को सभी से भरपूर सराहना एवं प्रशंसा मिलती है ।

- ✓ 'ऊर्जा दीप्ति' में प्रकाशित होने वाली हिंदी रचनाओं के लेखकों को 3000/-रु. की मानदेय राशि प्रदान की जाती है ।

- ✓ निगम की गृह-पत्रिका **'ऊर्जा दीप्ति'** प्रकाशन के **25** वर्ष पूरे होने पर सभी कार्मिकों को **'प्रेमचंद की 51 श्रेष्ठ कहानियां'** तथा **'भारतीय वीरांगनाएं'** नामक दो-दो हिंदी पुस्तकें वितरित की गई।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

♠ समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है :-

1) निगम द्वारा दिनांक 26.04.2019 को हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा के महान संत कवि कबीरदास जी को समर्पित 'कबीर : अंतर्मन की आवाज' नृत्य-सांगीतिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया ।

2) विश्व हिंदी दिवस के अवसर दिनांक 14 जनवरी, 2019 को श्रीराम भारतीय कला केंद्र के कलाकारों द्वारा कमानी ऑडिटोरियम में 'कृष्ण' नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया ।

3) दिनांक 12.10.2018 को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया । सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएफसी के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रादेशिक नृत्य, गीत-संगीत, नाटक, काव्य-पाठ आदि प्रस्तुत किए गए । इनमें से एक नाटिका में राजभाषा नीति और पीएफसी में उसके कार्यान्वयन संबंधी थी।

4) दिनांक 16.07.2018 को स्थापना दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

5) निगम की गृह-पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' प्रकाशन के **25** वर्ष पूरे होने पर 'रजत जयंती समारोह' का आयोजन किया गया और दिनांक **16.03.2018** को श्रीराम भारतीय कला केंद्र में 'कर्ण' नृत्य-नाटिका का मंचन किया गया।

6) दिनांक 09.10.2017 को श्रीराम भारतीय कला केंद्र में उनके कलाकारों द्वारा 'श्रीराम' नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया।

विविध

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा ऑन लाइन किया गया, जिसमें सभी यूनिटें रिपोर्ट भरकर कम्प्यूटर के माध्यम से सीधे राजभाषा यूनिट को भेज सकते हैं ।
- पुस्तकालय की पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर ऑन लाइन किया जा रहा है, जिसमें सभी पुस्तकों की प्रविष्टियाँ द्विभाषी रूप में की जा रही हैं ।
- निगम के कार्मिकों द्वारा धारित हिंदी के ज्ञान संबंधी रोस्टर रखा जाता है और तदनुसार हिंदी सीखने, हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है ।
- निगम में सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में यूनिकोड में काम करने की सुविधा है। निगम के सभी आशुलिपिक/लिपिक हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग/कम्प्यूटर में प्रशिक्षित हैं ।
- राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक यूनिट में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।
- समय-समय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में पीएफसी द्वारा भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पीएफसी के कार्मिक भी भाग लेते हैं ।

- हिंदी के प्रति जागरूकता एवं रूचि उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस तथा हिंदी माह या पखवाड़े, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ।

- 2015 में पारंगत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया और उनकी कक्षाएं निगम परिसर में चलाई गईं । उक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिकों की राजभाषा विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई । इसमें 21 कार्मिकों ने भाग लिया तथा उत्तीर्ण हुए ।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा नीति कार्यान्वयन से संबंधित
मुख्य गतिविधियों का विवरण

(क) हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह

दिनांक 14-09-2018 से 13-10-2018 तक

- दिनांक 14.09.2018 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) तथा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संदेशों का सभी कार्मिकों को वितरण : निदेशक ने कार्मिकों को संबोधित करते हुए अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया ।

- दिनांक 14.09.2018 से 13.10.2018 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया । इस दौरान निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया -
  - वर्तनी-शोधन प्रतियोगिता : 14.09.2018
  - कहानी बुनो प्रतियोगिता : 20.09.2018
  - काव्य पाठ प्रतियोगिता : 29.09.2018
  - चलती का नाम गाड़ी प्रतियोगिता : 09.10.2018
  - सांस्कृतिक संध्या का आयोजन : 12.10.2018

उक्त प्रतियोगिताओं में 149 कार्मिकों ने भाग लिया । सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएफसी के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रादेशिक नृत्य, गीत-संगीत, नाटक, काव्य-पाठ आदि प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक नाटिका में राजभाषा नीति और पीएफसी में इसके कार्यान्वयन से संबंधित थी ।